

# आलय उप खण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली

सं- 71/2018


तारीखरजू:-20.06.2018

निर्णय दिनांक:-

उनवान:- मागी लाल वगै० बनाम बालकिशन वगै०

दावा वावत अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा

क्र	फर्द अहकाम
2018	<p>वादी की और से श्री विजय भारती एडवोकेट ने दावा वावत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मान तलब कर पत्रावली दिनांक 27.06.2018 को को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपजिला कलक्टर                      टोडाभीम (करौली)                 </p>
27.6.18	<p>वादी वकील उपो/प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 श्री मोरेश्वर श्री हंसराम शर्मा (M.A.) ने प्रतिवादीगणों को पेश किया। प्रतिवादी नं. 5, 6 के सम्मान में लामेय शर्मा (कि.पा. व.का.ल.नामा) ने को पेश किया। 11.7.18 को पेश हो।</p>
11-7-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी पेश किया है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 8-8-18 को पेश हो।</p>
1-8-18	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसन अधिकारी पेश किया है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 27-8-18 को पेश हो।</p>

221-21  
20/6/18



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक फर्द अहकाम

8/7/25 पत्रावकी पेश हुई। वादी की कोर्ट से ही दुख  
 कर भंगना सुनवाई के ठीक पेश किया जो  
 आजीव पत्रावकी रहे। वादी बदास दिनांक  
 31/7/25 को पेश है।

31/7/25 पत्रावकी पेश हुई। वादी वकील ने वादी  
 के पक्ष समझ चाहा। समझ किया गया  
 वादी बदास दिनांक 11/8/25 को पेश है।

11/8/25 पत्रावकी पेश हुई। वादी वकील को वादी  
 के पक्ष समझ मोका दिया गया। वादी  
 बदास दिनांक 12/9/25 को पेश है।

12/9/25 पत्रावकी पेश हुई। वादी उप वादी वकील को  
 न्यायालय नही कार 2 आवारा दिखाने गई  
 इसके वापस भी कोई उपस्थित नही हुआ।  
 वादी का डावा-वावर समझी गयी। वादी  
 उप वादी वकील की मदद पेशी का काम किया  
 में उपस्थित किया जाता है। पत्रावकी पेश  
 कुमार पेश न्यायालय के काम कर डाले गए।